संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल :- dme12001@yahoo.com दूरभाष नम्बर :- 0755-2550186
वेबसाईट :- www.medicaleducation.mp.gov.in फैक्स :- 0755-2578844

क्रमांक 595 /स्था./अराज/2020, भोपाल, दिनांक 06/06/2020

प्रति,

अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
इन्दौर।

विषय :- परिचारिका संवर्ग की अनुसूची के संबंध में।

संदर्भ:- अधिष्ठाता, इन्दौर का पत्र क्रमांक 71 दिनांक 29.01.2020

--00--

संदर्भित पत्र द्वारा अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय एवं उससे संबद्ध चिकित्सालयों के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी की परिचारिका, सह-चिकित्सकीय, गैर-शैक्षणिक संवर्ग की अनुसूची 1,2,3,4 एवं 5 उपलब्ध कराई गई, जिनका परीक्षण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया जाकर परिचारिका संवर्ग की अनुसूची अनुमोदित की जाकर **"मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018"** के अनुक्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु छायाप्रति संलग्न प्रेषित।

(आयुक्त चि.शि. द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- परिचारिका संवर्ग की अनुसूची 1,2,3,4 एवं 5.

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 596 /स्था./अराज/2020, भोपाल, दिनांक 06/06/2020

प्रतिलिपि:-

संभागीय आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

F:/DME/Letter 941

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

अनुसूची–एक
(नियम 4.1 देखिए)

परिचारिका संवर्ग–ब

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड + ग्रेड–पे	रिमार्क
1	2	3	4	
1	नर्सिंग अधीक्षक	05	15600-39100+5400	एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम सीट्स 150 से 250 वृद्धि करने हेतु स्वीकृत पदों को सूची में सम्मिलित किया गया हैं
2	उप परिचर्या (नर्सिंग) अधीक्षक	08	9300-34800+4200	
3	सहायक परिचर्या (नर्सिंग) अधीक्षक	19	9300-34800+4200	
4	मेट्रन	07	9300-34800+4200	
5	नर्सिंग सिस्टर	80	9300-34800+3600	
6	स्टॉफ नर्स	1260	5200-20200+2800	

टीप :–

1. अंनुसूची में उल्लेखित पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होकर अनुदान के पद है ।
2. उपरोक्त पदों में पूर्व में जारी अनुमोदित अनुसूची के कोई भी पद सम्मिलित नही हैं

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,
इन्दौर

30/9/19

संचालक
क्षे.ने.वि.संस्थान, भोपाल
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

.10.19
श्रीमती उषा किरण स्टीफन
सहायक संचालक नर्सिंग

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

अनुसूची–दो

(नियम 5.1 देखिए)

परिचारिका संवर्ग

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा
1	2	3	4	5
1	नर्सिंग अधीक्षक	05	-	100%
2	उप परिचर्या (नर्सिंग) अधीक्षक	08	सहायक परिचर्या (नर्सिंग) अधीक्षक के पद पर एक वर्ष के अनुभव पर वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापना।	
3	सहायक परिचर्या (नर्सिंग) अधीक्षक	19	मेट्रन के पद पर दो वर्ष के अनुभव पर वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापना।	
4	मेट्रन	07	-	100%
5	नर्सिंग सिस्टर	80	5%	95%
6	स्टॉफ नर्स	1260	100%	-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,
इन्दौर

30/9/19

5.10.19
श्रीमती ऊषा किरण स्टीफन
सहायक संचालक नर्सिंग

संचालक
डॉ. ने. वि. संस्थान, भोपाल
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

अनुसूची–तीन

(नियम 5.2 देखिए)

परिचारिका संवर्ग

स. क्र.	अनुसूची 1 का स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
1	5	नर्सिंग सिस्टर	18 वर्ष	1. एम.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा 3. पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा 4. नर्सिंग प्रशासन में प्रमाण–पत्रोतर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण साथ ही (क) स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव । (ख) म.प्र. नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका ।	65 वर्ष
2	6	स्टॉफ नर्स	18 वर्ष	1. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।	65 वर्ष

टीप:–

1. अनुसूची के कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद या मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल, मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी ।
2. कार्यकारिणी समिति समय–समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

30/9/19

संचालक
क्षे.ने.वि. संस्थान, भोपाल
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

अनुसूची–चार

(नियम 7.2 देखिए)

परिचारिका संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर)	मेट्रन	नर्सिंग अधीक्षक	मेट्रन के पद पर 05 वर्ष का कार्य अनुभव	1. मुख्यकार्यपालन अधिकारी – **अध्यक्ष** 2. संभागायुक्त द्वारा मनोनीत सेवारत् अथवा सेवानिवृत्त प्राध्यापक – **सदस्य** 3. चिकित्सा महाविद्यालय का अधीक्षक – **सदस्य**
	नर्सिंग सिस्टर	मेट्रन	नर्सिंग सिस्टर के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव।	
	स्टॉफ नर्स	नर्सिंग सिस्टर	स्टॉफ नर्स के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव।	

श्रीमती उषा किरण स्टीकन
सहायक संचालक नर्सिंग

संचालक
क्षे.नं.वि. संस्थान, भोपाल
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,
इन्दौर

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

<u>शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर</u>

अनुसूची--पांच

(नियम 11.1 देखिए)

परिचारिका संवर्ग

सं.क.	अवकाश का प्रकार	विवरण
1	आकस्मिक / विशेष / ऐच्छिक अवकाश	अनुसूची–एक के खण्ड [redacted] ब, [redacted] में उल्लेखित संवर्गों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति को केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में नियमानुसार अवकाश उपभोग करने की पात्रता होगी ।
2	अर्जित अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 30 दिवस का अर्जित अवकाश उस केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में किसी अवकाश खाते में अधिकतम 300 दिवस का अर्जित अवकाश जमा कर सकेगा 300 दिवस से अधिक का अवकाश स्वतः ही व्यपगत (लेप्स) हो जावेगा, माह के मध्य में नियुक्त होने पर अर्जित अवकाश की गणना 2½ दिवस प्रति सम्पूर्ण माह की दर से की जावेगी ।
3	अर्द्धवैतनिक / लघुकत अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 20 दिवस अर्द्धवैतनिक चिकित्सा अवकाश केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में
4	प्रसूति अवकाश	महिला चिकित्सकीय, परिचारिका तथा सह–चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को 2 से कम जीवित संतान होने की दशा में 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी ।
5	पितृत्व अवकाश	पुरूष चिकित्सकीय, परिचारिका तथा सह–चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को 2 से कम जीवित संतान होने की दशा में 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी, प्रसव के 15 दिवस के पहले अथवा 15 दिवस बाद से 6 माह की अवधि में ना लेने पर व्यपगत (लेप्स) हो जावेगा
6	अध्ययन अवकाश	संवर्ग की पात्रता अनुसार सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रवेषित पाठ्यकम की अवधि के आधार पर व्यक्ति को अध्ययन अवकाश का पूर्ण वेतन तथा मंहगाई भत्ता (अन्य भत्ते नही) की पात्रता होगी । अध्ययन अवकाश 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने तथा अवकाश के उपरांत तीन वर्ष से अधिक का समय सेवा निवृत्त हेतु शेष होना आवश्यक होगा ।
7	संतान पालन अवकाश	महिला चिकित्सकीय, परिचारिका तथा सह–चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिये अधिकतम 730 दिवस की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत किया जावेगा । जिसमें संतान का 18 वर्ष की आयु से कम होना आवश्यक है परंतु सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना कमांक 16–18 / 97 / एन. 1.1 दिनांक 01 जून 2001 में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम 40 प्रतिशत निशक्तता वाली 22 वर्ष से कम आयु की संतान हेतु मान्य होगा ।

टीपः–

1. अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नही किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी लोकहित में अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं स्वीकृत अवकाश को रद्द करने निर्णय ले सकेगा।
2. सक्षम प्राधिकारी संबंधित आवेदन पर स्वीकृत अवकाश के प्रकार को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,
इन्दौर

30/9/19

संचालक
क्षे.ने.वि. संस्थान, भोपाल
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

5.10.19

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा